न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–167/2010/भीलवाड़ा (2010/00031)

1. चुन्नीलाल पुत्र धुकललाल,
2. मदनलाल पुत्र मिश्रीलाल,
3. रामेश्वरलाल पुत्र सुवालाल,
4. जवाहरमल पुत्र सोहनलाल,
5. जगदीशचन्द्र पुत्र सोहनलाल,
6. श्रीमती छाउ पत्नि सोहनलाल,

समस्त जाति ब्राहमण, निवासी सुवाना, तह0 व जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांट्स

बनाम

1. श्यामलाल पुत्र औंकारलाल,
2. विष्णुकुमार पुत्र औंकारलाल,
3. श्रीमती सोहनी देवी पुत्री काशीराम,
4. श्रीमती गट्टू देवी पुत्री काशीराम,

समस्त जाति ब्राहमण, निवासी सुवाना, तह0 व जिला भीलवाड़ा ।

5. रतनलाल पुत्र प्रभूलाल,
6. गोपाललाल पुत्र प्रभूलाल **(फौत) जरिये वारिसानः–**

6/1– आनन्द पुत्र गोपाल,
6/2– अभिषेक पुत्र गोपाल,
6/3– चन्दू पुत्र गोपाल,
6/4– लाडदेवी बवेा गोपाल,

7. सूर्यप्रकाश पुत्र प्रभूलाल,
8. श्रीमती नाथीबाई पुत्री प्रभूलाल,

समस्त जाति पाराशर, निवासी सुवाना, तह0 व जिला भीलवाड़ा ।

रेस्पोर्डेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा दिनांक 29.6.2010 अंतर्गत अपील संख्या 119/2008 .

उपस्थितः–

1. श्री मदनलाल गुर्जर, वकील अपीलांट्स ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 अनुपस्थित ।
3. श्री राकेश अरोड़ा, वकील रेस्पो0 संख्या 5, 6/1 से 6/4 व 7.

निर्णय

दिनांक :– 9.7.2018

अपीलांटस ने यह अपील विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 29.6.2010 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वाके नई ईरास तहसील व जिला भीलवाड़ा में अवस्थित साबिक आराजी संख्या 1648/1 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा व खसरा संख्या 1648/2 रकबा 7 बिस्वा जिसके हाल नये आराजी खसरा संख्या 3497 रकबा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 3498 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि अपीलांट संख्या 1 एवं रेस्पो0 संख्या 2, 3 व 4 के पिता काशीराम का 1/2 हिस्सा एवं अपीलांट संख्या 1, अपीलांट संख्या 2 के पिता मिश्रीलाल, अपीलांट संख्या 3 के पिता सुवालाल, अपीलांट संख्या 4 व 5 के पिता व 6 के पति सोहनलाल के नाम पर 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी । अपीलांटस की बिना जानकारी के स्व0 काशीराम एवं रेस्पो0 संख्या 1 श्यामलाल ने तथाकथित भूमि को शान्तादेवी पत्नी प्रभूलाल पाराशर को अपने हिस्से का विक्रय कर दिया । श्रीमती शांतादेवी का स्वर्गवास हो चुका है एवं शांतादेवी के उत्तराधिकारी रेस्पो0 संख्या 5 लगायत 8 है । शांतादेवी के स्वर्गवास के बाद रेस्पो0 संख्या 5 लगायत 8 के नाम नामांतकरण भी स्वीकृत हो गया जिसकी जानकारी अपीलांटस व उनके पूर्वजों को नहीं थी । काशीराम व श्यामलाल का तथाकथित भूमियों में 1/2 हिस्सा ही था और 1/2 हिस्सा ही बैचने का अधिकार था लेकिन दोनों आराजियात का मु0 शांतादेवी के नाम नामांतकरण तस्दीक कर दिया गया जो विधि विरूद्ध होने से अपीलांटस ने नामांतकरण संख्या 615 दिनांक 9.11.1977 की जानकारी होने पर धारा 5 मियाद अधि0 के प्रार्थना पत्र के साथ उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो बाद में विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा को स्थानातंरित की कर दी गई । विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाडा ने निर्णय दिनांक 29.6. 2010 द्वारा अपीलांटस की अपील अपास्त कर दी । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंटस के उपस्थित होने तथा अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस की बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने अपीलांटस के धारा 5 मियाद अधि0 के प्रार्थना पत्र को अपील 28 वर्ष की लंबी अवधि के बाद प्रस्तुत किया जाना मानकर अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत

प्रार्थना पत्र में दर्शाये कथनों पर अविश्वास कर अपील अपास्त करने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि प्रथमतया नामांतकरण संख्या 615 दिनांक 9.11.1977 पूर्णतया क्षैत्राधिकार का गलत प्रयोग कर अपीलांट्स का हिस्सा श्रीमती शांतादेवी के नाम दर्ज कर दिया एवं उक्त नामांतकरण अपीलांट्स को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये व बिना नोटिस दिये स्वीकार किया गया है तथा ऐसे अवैध एवं प्रभावशून्य आदेशों के क्र में मियाद का बिन्दु बाधित नहीं है। अधी0न्याया0 को मियाद प्रार्थना पत्र निर्णित करते समय यह देखना चाहिये था कि क्या नामांतकरण संख्या 615 दिनांक 9.11.1977 सही स्वीकार किया गया है, कहीं नामांतकरण विक्रय से अधिक भूमि या किसी खातेदार द्वारा भूमि विक्रय नहीं किये जाने के बावजूद क्रेता के नाम स्वीकार तो नहीं कर दिया है। यदि हां तो क्षैत्राधिकार रहित आदेशों को चुनौती देने के लिये मियाद का तकनीकी बिन्दु आड़े नहीं आता है ।

4- विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने इस कानूनी बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया कि नामांतकरण संख्या 615 अपीलांट्स के हक अधिकारों के विपरीत होने से उसे निरस्त किये जाने के बाद रेस्पो0 संख्या 5 लगायत 8 के नाम विरासत के आधार पर स्वीकार किया गया नामांतकरण संख्या 247 स्वतः ही निरस्त हो जाता है क्योंकि शांतादेवी को जिस नामांतकरण से अधिकार प्राप्त हुए वह नामांतकरण मूलतः अवैध व विधि विरूद्ध होने से मृतक शांतादेवी की विरासत का नामांतकरण कोई महत्व नहीं रखता था । विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस में आगे कथन किया कि स्वंय विद्वान जिला कलक्टर ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि सन् 1966 में वादग्रस्त आराजी श्रीमती शांतादेवी को विक्रय किया गया । उक्त विक्रय पत्र के परिप्रेक्ष्य में नामांतकरण संख्या 615 संस्थित किया जाकर निर्णित किया है तथा इसके बाद शांतादेवी का स्वर्गवास होने से मृतक के कानूनी वारिसान के नाम पर विवादित भूमि जरिये नामांतकरण संख्या 247 दिनांक 30.5.2005 से परिवर्तित हो गई है । यदि नामांतकरण संख्या 615 अपास्त कर भी दिया जाता है तो भी नामांतकरण संख्या 247 यथावत् प्रभावशील रहना मानकर निर्णय पारित किया है । विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि न्यायालय कलेक्टर ने अपने निर्णय में यह भी उल्लेख किया है कि नामांतकरण की कार्यवाही फिस्कल प्रोसिडिंग होकर भू-राजस्व को निर्धारण करने की प्रक्रिया है जिससे किसी के हक व अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, हक अधिकार निर्धारण कराने के लिये काश्तकारी अधि0 में व्यवस्थायें दिये जाने के संबंध में अधी0न्याया0 द्वारा दिया गया निष्कर्ष गलत है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि साबिक आराजी खसरा संख्या 1648/1 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा व आराजी खसरा संख्या 1648/2 रकबा 7 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा में रेस्पो0 संख्या 1 श्यामलाल व रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 4 के पिता काशीराम का 1/2 हिस्सा व शेष 1/2 हिस्सा अपीलांट संख्या 2 के पिता मिश्रीलाल व अपीलांट संख्या 3 के पिता सुवालाल एवं

अपीलांट संख्या 4, 5 के पिता एवं 6 के पति सोहनलाल का था । उक्त साबिक नंबरान के नवीन नंबर 3497 व 3498 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा कायम किया जाकर कुल रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि को रेस्पो0 संख्या 5 लगायत 8 की माता शांतादेवी के नाम पर हस्तातंरण कर दिया गया जबकि उक्त आराजी में 1/2 हिस्सा ही जरिये विक्रय किया जाना चाहिये था। अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 29.6.2010 एवं नामांतकरण संख्या 615 दिनांक 9.11.1977 को निरस्त किया जावे ।

5- विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के अभिभाषक ने प्रार्थीगण को प्रत्येक पेशी पर न्यायालय में उपस्थित नहीं होने व अपील की कार्यावाहियों की सूचना जरिये पत्र दिये जाने का आश्वासन दे रखा था । प्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा बराबर प्रार्थीगण को नियत पेशियों की सूचना दी जाती रही जो प्रार्थीगण को प्राप्त हुई थी, लेकिन प्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा निर्णय की सूचना हेतु लिखा गया पत्र प्राप्त नहीं हुआ परन्तु लंबे समय तक अभिभाषक से सूचना व पत्र प्राप्त नहीं होने पर प्रार्थीगण दिनांक 23.9.2010 को अपने अभिभाषक के कार्यालय गये व अपने वकील से अपील के बारे में जानकारी की तो प्रार्थीगण को बताया कि अपील का निर्णय दिनांक 29.6.2010 को हो चुका है व अपील निर्णय खारिज की गई है जिसके विरूद्ध अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर के न्यायालय में अपील करनी होगी व द्वितीय अपील के लिये प्रमाणित प्रतिलिपियों की आवश्यकता होगी, जिस पर दिनांक 24.9.2010 को विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के निर्णय की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 24.9.2010 को ही प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने के उपरांत प्रार्थीगण ने गांव आकर रूपयों की व्यवस्था कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील प्रस्तुत की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक है । अतः विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे । xx

6- विद्वान वकील रेस्पोडेटस संख्या 5 एवं 7 ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । काशीराम पिता गोकल, श्यामलाल पिता श्यामलाल पिता ऊंकार 1/2 हिस्सा, मिश्रीलाल, सुवालाल, सोहनलाल, चुन्नीलाल पिता धूंकल हिस्सा 1/2 के शामलाती खाते में साबिक आराजी नंरब 1648/1 रकबा 1.12 बीघा, आराजी नंबर 1648/2 रकबा 0.07 बीघा के साथ अन्य आराजियात भी दर्ज थी जिसके वर्तमान आराजी नंबर 2255 रकबा 5.03 बीघा, आराजी नंबर 3497 रकबा 8 बिस्वा, आराजी नंबर 3498 रकबा 1.02 बीघा किता 3 कुल रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा बने है । सहखातेदार काशीराम, श्यामलाल ने अपने कब्जेशुदा साबिक आराजी नंबर 1648/1 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा व आराजी नंबर 1648/2 रकबा 7 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा श्रीमती शांतादेवी पत्नी प्रभूलाल पाराशर को दिनांक 7.10.1966 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा विक्रय उपरांत खरीददार को कब्जा संभला

दिया था । हाल शामलाती खाते में 6 बीघा 13 बिस्वा भूमि शेष दर्ज है जिसमें काशीराम, श्यामलाल के हिस्से में 3 बीघा 6 बिस्वा भूमि आती है जिसमें से साबिक रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा भूमि का इन्होंने विक्रय किया है जो विक्रेतागण के हिस्से में आयी भूमि 3 बीघा 6 बिस्वा से काफी कम है । विक्रयशुदा भूमि के अलावा भी विक्रेतागण का शामलाती भूमि में हक हिस्सा शेष है । विक्रयशुदा आराजियात के हाल आराजी नंबर 3497 रकबा 8 बिस्वा व आराजी नंबर 3498 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा किता 2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा बनते है । इसी मुताबिक खरीददार का मौके पर कब्जा है जिसका नामांतकरण संख्या 615 दिनांक 9.11.1977 को श्रीमती शांतादेवी के नाम पर निर्णित किया गया था । शांतादेवी का देहांत होने पर उसके वारिसान रेस्पो0 संख्या 5 से 9 के नाम पर इस भूमि का नामांतकरण संख्या 247 दिनांक 30.5.2005 को निर्णत किया गया था जिससे यह भूमि प्रत्यर्थी संख्या 5 से 9 के नाम पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रत्यर्थी संख्या 9 प्रभूलाल का देहांत हो गया है जिससे उसका नाम प्रत्यर्थी से डिलीट करने का आदेश 3.3.2009 को हुआ है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि श्यामलाल वगैरह ने अपीलांट रामेश्वर लाल व अन्य के खिलाफ उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा के न्यायालय में स्थायी निषेधाज्ञा एवं विभाजन का वाद प्रस्तुत कर रखा है जिसके साथ पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 प्रकरण संख्या 127/05 में अपीलांट रामेश्वरलाल वगैरह ने जवाब पेश किया था कि पूर्वजों के समय में हुए जुबानी विभाजन के आधार पर आराजी नंबर 2255 पर सन् 1965 से उनका कब्जा है । आराजी नंबर 2255 का रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा है जिसमें आधा हिस्सा काशीराम, श्यामलाल का बनता है । इस प्रकार से स्वंय अपीलांट्स के इस कथन से यह साबित होता है कि उनका आराजी नंबर 3497 व 3498 पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में आगे कथन किया कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है । नामांतकरण की कार्यवाही एक फिस्कल कार्यवाही है जिसमें किसी भी पक्ष के हक अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है बल्कि नियमित वाद में ही हक अधिकारों का निर्णय किया जा सकता है । रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 7.10.1966 को सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा नहीं कर दिया जाता तब तक इस विक्रय पत्र के आधार पर खोले गये नामांतकरण को निरस्त नहीं किया जा सकता है। अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट अपास्त की जावे ।।

7- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांटस एवं रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की बहस पर मनन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । मियाद के बिन्दू

से किसी भी प्रकरण का गुणावगुण पर अंतिम विनिश्चयन नहीं हो सकता है इसलिये हम न्यायहित में अपीलांट्स को सुना जाना न्यायोचित समझते है। अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

8- प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि साबिक आराजी खसरा संख्या 1648/1 रकबा 1.12 बीघा के नवीन खसरा नंबर 3497 रकबा 8 बिस्वा एवं साबिक आराजी संख्या 1648/2 रकबा 0.07 बीघा के नवीन खसरा संख्या 3498 रकबा 1.02 बीघा कुल रकबा 1.10 कायम किये गये है । उक्त आराजियात में रेस्पो0 संख्या 1 श्यामलाल व रेस्पो0 संख्या 2, 3 व 4 के पिता काशीराम का 1/2 हिस्सा व शेष 1/2 हिस्सा अपीलांट संख्या 2 के पिता मिश्रीलाल व अपीलांट संख्या 3 के पिता सुवालाल एवं अपीलांट संख्या 4 व 5 के पिता एवं 6 के पति सोहनलाल के नाम दर्ज रिकार्ड था। नामांतकरण संख्या 615 के अवलोकन से स्पष्ट है कि पक्षकारान के नाम तत्समय कुल 6 बीघा 13 बिस्वा में अपीलांट्स का 1/2 हिस्सा व शेष 1/2 हिस्सा रेस्पो0 संख्या 1 से 4 का दर्ज रिकार्ड है । रेस्पो0 संख्या 1 से 4 ने अपने 1/2 हिस्से की भूमि अर्थात् 3 बीघा 6 बिस्वा भूमि में से गत् अभिलेख में श्रीमती शांतादेवी को 1.19 बीघा भूमि जो नवीन आराजी खसरा नंबर 3497 व 3498 रकबा 1.10 बीघा भूमि का विक्रय किया है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती शांतादेवी के नाम नामांतकरण संख्या 615 दिनांक 911.1977 को स्वीकृत किया गया । तद्पपरांत श्रीमती शांतादेवी का स्वर्गवास दिनांक 25.1.2003 को हो चुका है । उक्त विक्रयशुदा वादग्रस्त आराजियात जरिये नामांतकरण संख्या 247 दिनांक 30.5.2005 से शांतादेवी की विरासत से उसके कानूनी वारिसान रेस्पो0 संख्या 5 से 9 के नाम राजस्व अभिलेखमें दर्ज हुई । अपीलांट्स का यह कथन कि स्व0 काशीराम एवं रेस्पो0 श्यामलाल ने अपने हिस्से से अधिक भूमि का श्रीमती शांतादेवी को विक्रय किया है किन्तु अपीलांट्स ने इस संबंध में पंजीकृत विक्रय पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की है। दौराने बहस विद्वान वकील रेस्पो0 का यह कथन रहा है कि विवादित भूमि के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के न्यायालय में बंटवारा का वाद विचाराधीन है । अपीलांट्स ने जो अनुतोष चाहा है वह उसे सक्षम न्यायालय में राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188 एवं धारा 53 के तहत ही प्राप्त हो सकता है । हम अधी0न्याया0 के इस निष्कर्ष से सहमत है कि नामांतकरण की कार्यवाही एक फिस्कल प्रोसिडिंग होकर भू-राजस्व को निर्धारण करने की प्रक्रिया है । इससे किसी के हक व अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है । हक व अधिकारों के निर्धारण के लिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में प्रावधान दिये हुए है । अपीलांट्स ने जो अनुतोष चाहा है वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में दिये गये प्रावधानों के तहत ही प्राप्त कर सकता है ना कि नामांतकरण की कार्यवाही के तहत। अपीलांट्स ने न्यायालय हाजा के समक्ष उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के न्यायालय में विचाराधीन बंटवारे के वाद के वर्तमान स्थिति के संबंध में भी

कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है । पत्रावली के अवलोकन से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि अपीलांट्स ने नामांतकरण संख्या 615 दिनांक 9.11.1977 को चुनौती दी है जबकि उक्त नामांतकरण के उपरांत श्रीमती शांतादेवी की विरासत का नामांतकरण संख्या 247 दिनांक 30.5.2005 मृतक खातेदार शांतादेवी के वारिसान के नाम तस्दीक हो चुका है । यदि नामांतकरण संख्या 615 को अपास्त कर भी दिया जावे तो नामांतकरण संख्या 247 दिनांक 30.5.2005 प्रभावी रहता है । अपीलांट्स ने नामांतकरण संख्या 247 को अपास्त कराने हेतु अपील प्रस्तुत क्यों नहीं की, इस संबंध में कोई कथन अपने अपीलमीमों एवं बहस में नहीं किया है । अपीलांट्स दस्तावेजी साक्ष्यों से अपनी अपील को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है ।

9- उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट्स अपास्त योग्य तथा विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.6.2010 यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 167/2010 (2010/00031) बउनवानी चुन्नीलाल बनाम श्यामलाल को अपास्त किया जाता है तथा विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा अपील संख्या 119/2008 बउनवान श्रीमती चुन्नीलाल बनाम श्यामलाल में पारित निर्णय दिनांक 29.6.2010 को यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 9.7.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर